



OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtcdcano@mp.gov.in

9893076404

Yogendra Pratap Singh Joining Letter

कार्यालय सचिव जनमागीदारी समिति
शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला-अनूपपुर म.प्र.

क्रमांक 590/ज.मा.1/2020
3
अनूपपुर दिनांक 01/07/2020

प्रति,
नाम श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह (अतिथि विद्वान-रसायन शास्त्र)
पिता/पति श्री राम किशोर सिंह
पता डा.म.वी.परसिया तहसील तोंघर जिला सीता (म.प्र.)

विषय- अतिथि विद्वानों को सत्र 2020-21 के लिए आमंत्रण।
संदर्भ- म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन भोपाल का पत्र क्र0 699/335/जाउचि/सा2/20 भोपाल दिनांक 30.06.2020 ।

विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में आपको सूचित किया जाता है कि शासकीय महाविद्यालय अनूपपुर में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है।

यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :-

- 1 यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा प्राध्यापक/अध्यापक/शैक्षणिक अधिकारी की पदस्थापना/नियुक्ति होने तक के लिए होगा।
- 2 आपको महाविद्यालय में दिनांक 08.07.2020 (कार्यालयीन समय) तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
- 3 आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार में वृद्धि की जा सकती है।
- 4 अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/निर्देश दिनांक 17.12.2019 की कठिक 5.1 के अनुसार होगा।
- 5 यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनमागीदारी समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है।
- 6 आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपसविक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अर्थ शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में सफ्य पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7 आपको म0प्र0शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एक 1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के आधार पर महाविद्यालय में सेवाएं देनी होंगी।
- 8 यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय में अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित व्यक्तियों से परित होने वाले मानवीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।

पू0क्र0/590/ज.मा.1-2020
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा सीवा संभाग सीवा म.प्र।
2. कार्यालयीन प्रति।

PRINCIPAL
Govt. Tulsi College Anuppur
Distt. Anuppur (M.P.)

सचिव
जनमागीदारी समिति शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर
अनूपपुर दिनांक 01/07/2020

जनमागीदारी समिति
Distt. Anuppur (M.P.)